सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3392 दिनांक –10.11.2011 एवं ज्ञापांक /2905 दिनांक 11.07.14 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय स0वि0स0 श्री रामानुज प्रसाद, सोनपुर वि0स0 द्वारा प्रखंडवार/नगरनिकायवार वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुमोदित योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल –02, सोनपुर के द्वारा योजनावार प्राक्कलित राशि पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है तथा पत्रांक 323 दिनांक 26.02.2020, पत्रांक 1263 दिनांक 25.10.2019, पत्रांक 1093 दिनांक 09.09.2019 एवं पत्रांक 1170 दिनांक 26.09.2019 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभि0 संगठन, कार्यप्रमंडल– 02, सोनपुर के द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदन की राशि पर अंचलाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 1463 दिनांक 14.10.2019, पत्रांक 1474 दिनांक 15.10.2019 एवं पत्रांक 1475 दिनांक 15.10.2019 द्वारा भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन एवं उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा के पत्रांक 2309 दिनांक 19.12.2019 एवं पत्रांक 414 दिनांक 26.02.2019 द्वारा सात निश्चय के अंतर्गत चयन नहीं है संबंधी प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0	प्रखण्ड	स्वीकृत योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	माननीय विधायक का नाम
1	सोनपुर	सोनपुर प्रखंड गोविन्दचक पंचायत अंतर्गत ट्रेनिंग कॉलेज के पास चौसिया में शौचालय का निर्माण।	283500.00	283500.00	श्री रामानुज प्रसाद
2	"	सोनपुर प्रखंड के नजरमीरा पंचायत अंतर्गत राहर दियारा सबलपुर मुख्य पथ स्थित सामुदायिक भवन के पास चबुतरा का निर्माण।	222600.00	222600.00	"
3	"	सोनपुर प्रखंड अंतर्गत जहाँगीरपुर पंचायत के जहाँगीरपुर स्कूल से ओमप्रकाश राम के घर तक सड़क का निर्माण।	670100.00	670100.00	"
4		सोनपुर प्रखंड अंतर्गत सबलपुर पूर्वी पंचायत के चहारम में शौचालय निर्माण।	283500.00	283500.00	"
5		सोनपुर प्रखंड अंतर्गत सबलपुर उत्तरी पंचायत के सबलपुर नेवल टोला मठ के पास सामुदायिक भवन का निर्माण।	954400.00	954400.00	
6		सोनपुर प्रखंड के नयागॉव पंचायत अंतर्गत पासवान टोली पोस्ट ऑफिस के पास ब्रहमबाबा स्थान के पास चबुतरा का निर्माण कार्य।	222600.00	222600.00	
7	दिघवारा	दिघवारा प्रखंड अंतर्गत त्रिलोकचक पंचायत के केशवपुर ग्राम में सतीश राय के घर से देवनाथ राय के घर तक सड़क का निर्माण।	225000.00	225000.00	
8		दिघवारा प्रखंड अंतर्गत कुरैया पंचायत के कुरैया ग्राम में रशीद मियॉ के घर से अशोक सिंह के घर होते हुये बैधनाथ सिंह के दलानी तक सड़क निर्माण।	503000.00	503000.00	
		कुल योग:–	3364700.00	3364700.00	

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :– (तैतीस लाख चौसठ हजार सात सौ रुपये मात्र।)

<u>कार्यकारी एजेन्सी का नाम :–</u> उक्त स्वीकृत योजनाओं का कार्य विभागीय/निविदा के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल– 02, सोनपुर द्वारा योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 5255 दिनांक 23.06.14 के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार के द्वारा विभागीय/ निविदा आमंत्रित कर योजना का कार्यान्वियन कराना सुनिश्चित किया जाय।

<u>कार्यन्वयन की शर्ते</u>

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि स्थल विवादग्रस्त नहीं है तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरूद्ध होने की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी।
2. सरकार के उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 5225 दिनांक – 23.09.14 में निहित निर्देश के आलोक में स्वीकृत योजनाओं के लोक निर्माण संहिता मे निहित के प्रावधानों के अनुरूप् निविदा के माध्यम से कराया जाय।
3. योजना के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना का कार्य सम्पादित किया जाय।
5. योजना के कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करें।
7. योजना स्थल पर स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक है।
8. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यान्वियन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो ग्राफी/विडियो ग्राफी की प्रति जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजना का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थान्तरित किया जा सके।
10. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
11. अंचलाधिकारी, सोनपुर से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त है। (छायाप्रति संलग्न) अंचलाधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि पर ही योजना का कार्यान्वियन कराना सुनिश्चित करें।
12. प्रत्येक माह की 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय, सारण (छपरा) को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

ह0/–
जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 271/यो0 दिनांक 20/02/2020

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल –02, सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजनाओं का नियमानुसार कार्यान्वियन कराना सुनिश्चित करेगे।

प्रतिलिपिः– सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0 आई0 सी0, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– अंचलाधिकारी, सोनपुर एवं दिघवारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय स0वि0स0 को सूचनार्थ प्रेषित।

20.02.20
जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

(4)